अतारांकित प्रश्न संख्या : 404

दिनांक : 28.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री. अखिलेश पति त्रिपाठी

विभाग का नाम : महिला एवं बाल विकास विभाग

विभाग का पता : 1ए, पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001

क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : -

प्रश्न सं.404	प्रश्न	उत्तर
(क)	लाडली योजना के अंतर्गत वितरण / नवीनीकरण के स्तर पर इस समय कितने लाभार्थी है;	लाडली योजना के अंतर्गत वितरण / नवीनीकरण के स्तर पर लाभार्थियों की संख्या निम्नप्रकार है: - योजना की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2017 तक परिपक्वता राशि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या = **1,69,819** योजना की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2017 तक नवीनीकरण (सक्रिय लाभार्थी) की संख्या = **7,28,595**
(ख)	वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में इस योजना में कितने नए आवेदन प्राप्त हुए;	वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में योजना में प्राप्त हुए नए आवेदन निम्नप्रकार है: -
(ग)	इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत हुए और कितने रद्द हुए;	स्वीकृत हुए आवेदन और रद्द हुए आवेदन निम्नप्रकार है:-
(घ)	इस योजना के बारे में जागरूकता कैसे फैलाई जा रही है;	लाडली योजना की जागरूकता के लिए विभाग के जिला कार्यालयों को स्कूलों और आंगनवाड़ियों में इस योजना की जानकारी वाले पोस्टर वितरित किए गए है। संबंधित क्षेत्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से माता-पिता को योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। विभाग के जिला कार्यालयों में योजना की जानकारी से सम्बन्धित बोर्ड और पोस्टर प्रदर्शित किए गए है।

(ख) नए आवेदन:

क्र. सं.	वित्त वर्ष	नए आवेदनों की संख्या
1.	2016-17	68733
2.	2017-18	65292

(ग) स्वीकृत / रद्द आवेदन:

क्र. सं.	वित्त वर्ष	स्वीकृत हुए आवेदन	रद्द हुए आवेदन
1.	2016-17	67421	1312
2.	2017-18	64341	951

<table>
<tr><td>(च)</td><td>लाभार्थियों की पात्रता के भौतिक सत्यापन हेतु क्या तंत्र है;</td><td>इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता के भौतिक सत्यापन हेतु योजना में विभिन्न स्तर पर दस्तावेज़ लिए जाते है ।
जन्म के समय : - माता-पिता द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी सम्बंधित दस्तावजों (जन्म प्रमाण पत्र) सहित अपने क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में कन्या के 01 वर्ष का होने से पहले जमा करना होता है।
स्कूल में दाखिले के समय : - प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर सभी सम्बंधित दस्तावेज सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु जमा कराए जाता है।
परिपक्वता राशि के समय : - परिपक्वता राशि प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को 10वीं एवं 12वीं पास की मार्कशीट/सर्टीफ़िकेट की फोटोकॉपी तथा भारतीय स्टेट बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी अपने सम्बंधित जिला कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।</td></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और कितनों का निवारण हुआ है.</td><td>वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में प्राप्त हुई शिकायतों और उनके निवारण का विवरण निम्नप्रकार है: -<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वित्त वर्ष</th><th>शिकायतें प्राप्त हुई</th><th>निवारण किया गया</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2016-17</td><td>234</td><td>230</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2017-18</td><td>141</td><td>135</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ज)</td><td>इस योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में कितनी आरटीआई विभाग द्वारा प्राप्त की गई है;</td><td>योजना के बारे में और इसे लागू किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा प्राप्त की गई आरटीआई का विवरण निम्नप्रकार है: -<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वित्त वर्ष</th><th>प्राप्त की गई आरटीआई</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2016-17</td><td>41</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2017-18</td><td>46</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(झ)</td><td>इनमें से कितनी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया; और</td><td>सभी आरटीआई का उत्तर दे दिया गया है ।</td></tr>
<tr><td>(ट)</td><td>कितनी आरटीआई अपीलीय प्राधिकारी के पास प्राप्त की गई ?</td><td>अपीलीय प्राधिकारी के पास प्राप्त की गई आरटीआई का विवरण निम्नप्रकार है: -<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वित्त वर्ष</th><th>प्राप्त की गई आरटीआई</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2016-17</td><td>17</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2017-18</td><td>15</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Shuchi Sharma

उप निदेशक (लाडली)